रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 1979 (कार्तिक 19, 1901)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1979 (KARTIKA 19, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	599
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1411
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	985
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2491
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	3203
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	375
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	8838
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	662
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2538
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	151

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	599
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1411
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	85
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2491
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	320
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	375
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	8838
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	662
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2578
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	151

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1979

सं० 48-प्रेज/79—राष्ट्रपति भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री भूप सिंह,
जमादार,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस,
मसूरी।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

18 मई, 1978 को हरदेभोल के अभियान के दौरान उसके नेता श्री एस० पी० मुलासी, कैम्प II के निकट हिमदरार में गिर पड़े जो लगभग 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। श्री भूप सिंह जमादार ने कम्पनी कमांडर और अन्य की सहायता से तत्काल बचाव कार्य का प्रबन्ध किया। सब से पहले, उन्होंने आश्रय बनाने के लिए बर्फ में बर्फ की कुल्हाड़ियां गाड़ी किन्तु वे स्वयम् नर्म बर्फ में फंस गये और भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी वे स्वयं को नहीं निकाल सके। बहुत संघर्ष के बाद युक्ति से वे नर्म बर्फ में से निकल सके और उन्होंने उस स्थान के पीछे मोर्चा सम्भाला जहां से वे पहले कार्य संचालन कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी कमर में एक रस्सी बांधी और उसका सिरा कम्पनी कमांडर को सख्ती से पकड़े रहने के लिए दिया। वे अत्यन्त खतरनाक स्थिति में थे किन्तु वे खतरा उठाने से झिझके नहीं। इसके बाद उन्होंने दल के अन्य सदस्यों से अलुमिनियम की सीढ़ी और रस्सियां डालने के लिए कहा किन्तु जब यह नहीं हो सका तो उन्होंने एक अलुमिनियम की सीढ़ी मांगी और अकेले ही उसे बर्फ में आधा गाड़ दिया। इसके सहारे उन्होंने सहायक कमांडेंट को गहरी हिम-दरार में से बाहर निकाल लिया।

श्री भूप सिंह, जमादार ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा उठा कर अभियान के नेता के जीवन को बचा लिया इस प्रकार उन्होंने कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मई, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 49 प्रेज०/79—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जगदीश सिंह (स्वर्गीय)
कांस्टेबल सं० 1758,
जिला जयपुर,
राजस्थान।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

6 जुलाई, 1978 को जेबकतरों के गिरोह में से एक ने सी० टी०एस० बस में एक यात्री की जेब काटी। दूसरे जेब कतरे ने एक अन्य यात्री की जेब काटनी शुरू कर दी। ऐसा करते हुए उसे यात्रियों ने पकड़ लिया। एक पुलिस कांस्टेबल ने जो उसी बस में सफर कर रहा था हस्तक्षेप करने की कोशिश की परन्तु जेब कतरों में से एक ने चाकू निकाला और उसे कांस्टेबल की जांघ में घोंप दिया। अपराधियों ने एक और यात्री पर भी प्रहार किया तथा उसे चाकू से घायल कर दिया। उसके बाद, जेब कतरे बस से नीचे उतरे और तीन साइकिल रिक्शाओं में सवार हो कर बच निकलने का प्रयास किया श्री जगदीश सिंह कांस्टेबल ने जो वर्दी में वहीं निकट उपस्थित थे लोगों की चीख-चिल्लाहट सुनी तथा जेब कतरों को साइकिल रिक्शाओं में जाते हुए देखा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे रिक्शाओं की ओर दौड़े तथा अपराधियों में से एक के बाल पकड़ लिए। जब वह जेब कतरा सहायता के लिये चिल्लाया, दूसरे जेब कतरे उसके पास दौड़ कर आये और श्री जगदीश सिंह कांस्टेबल जो बिल्कुल अकेले तथा निहत्थे थे, को छुरा घोंप दिया। घायल अवस्था में भी श्री जगदीश सिंह ने उसके साथ संघर्ष किया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। वे हथियारों से लैस थे और उनकी संख्या अधिक थी इसलिए वे ऐसा न कर सके। अपराधी बचकर भाग गये। श्री जगदीश सिंह को अस्पताल में जाते हुए रास्ते में मृत्यु हो गई।

श्री जगदीश सिंह कांस्टेबल ने अद्भुत साहस का परिचय दिया तथा कर्त्तव्य-परायणता हेतु अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 जुलाई, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 50-प्रेज/79—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री इन्द्रजीत सिंह तेओतिया,
पुलिस उप-निरीक्षक,
कानपुर
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

11 मई, 1977 को एक पुलिस दल, जिसमें तीन निरीक्षक और श्री इन्द्रजीत सिंह तेओतिया समेत दो उप-निरीक्षक थे, ने एक नाचने वाली लड़की के मकान को घेरा जहां बशीर के कुख्यात गिरोह के एक प्रमुख सदस्य नफीस के उपस्थित होने का आभास था। एक आरजी सीढ़ी की सहायता से श्री तेओतिया कुछ सिपाहियों के साथ मकान की पहली मंजिल पर चढ़ गये। परन्तु सीढ़ी के चरचराहट की आवाज से नफीस सचेत हो गया और रिवाल्वर लेकर तुरन्त मकान के बाहर छज्जे पर आया। श्री तेओतिया को देखते ही उसने उन पर गोली चलाई। श्री तेओतिया नीचे झुक गये और गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। दूसरे ही क्षण श्री तेओतिया ने पीछे की छोटी दीवार पर रेंगते हुए मकान के छज्जे पर छलांग लगाई। नफीस अन्तिम गोली तक फायर करता रहा। जब नफीस रिवाल्वर में दोबारा गोली भरनी आरम्भ की तो उसके साथियों ने श्री तेओतिया पर गोली चलाई। श्री तेओतिया विचलित नहीं हुए और उन्होंने नफीस पर गोली चलाई और उसे घटनास्थल पर ही मार डाला। नफीस के साथी वहां से भाग गये।

इस मुठभेड़ में श्री इन्द्रजीत सिंह तेओतिया ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता दिनांक 11 मई, 1977 से दिया जाएगा।

सं० 51-प्रेज/79—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जय चन्द सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
हरदोई,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

18 मई, 1977 को हरदोई के पुलिस उप-निरीक्षक, श्री जय चन्द सिंह को सूचना मिली कि डाकुओं का एक गिरोह सरवारपुर गांव में डकैती डालने वाला है। वे पुलिस उप-निरीक्षक श्री महेंद्र प्रताप सिंह, एक सहायक उप-निरीक्षक और 6 कांस्टेबलों के साथ तुरन्त उस स्थान की ओर बढ़े। अपने आदमियों को तैनात करके के बाद उन्होंने डाकुओं को ललकारा किन्तु डाकुओं ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरु कर दी। कुछ गोलियां श्री जयचन्द सिंह के बिलकुल निकट से होकर गुजरी किन्तु वे अविचलित रहे। जब ऐसा प्रतीत हुआ कि डाकुओं तक पहुंचना कठिन है और उस स्थान से जहां पुलिस अधिकारी थे, डाकुओं पर आक्रमण भी नहीं कर सकते, तो श्री जय चन्द सिंह आड़ छोड़ कर आततायियों को पकड़ने के लिए उन की ओर बढ़े। श्री जय चन्द सिंह को सिर, पेट और टांगों पर बन्दूक के छर्रों की अनेक चोटें लगीं किन्तु वे डाकुओं पर दबाव डाले रहे और उनमें से सात को घटना-स्थल पर शस्त्रों और गोलाबारूद सहित गिरफ्तार कर लिया।

इस मुठभेड़ में उप-निरीक्षक श्री जय चन्द सिंह ने उत्कृष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मई, 1977 से दिया जाएगा।

सं० 52-प्रेज/79—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद।
श्री सुरेन्द्र सिंह,
पुलिस उपनिरीक्षक,
जिला बरेली,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

28 जुलाई, 1976 को पुलिस उप-निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह को विश्वसनीय सूचना मिली कि डाकू भागीरथ का कुख्यात गिरोह गांव आसपुर में डाका डालने की योजना बना रहा था। उन्होंने उपलब्ध दल एकत्र किया और तुरन्त गांव की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में बांटा। उन्होंने स्वयं उस पुलिस दल का नेतृत्व किया जिसने मकान की पूर्वी दिशा पर मोर्चा संभाला था। अन्य पुलिस दलों ने क्रमशः छत और मकान के पश्चिम की ओर नाकाबन्दी की डाकू रात के एक बजे श्री राम बिलास सिंह के मकान में घुसे। श्री सुरेंद्र सिंह ने डाकुओं को ललकारा पर उन्होंने पुलिस दल पर गोली चला दी। श्री सुरेंद्र सिंह और पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने भी गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप गिरोह का नेता भागीरथ मारा गया। एक अन्य डाकू सेवा राम उर्फ पराड़िया, जो उप-निरीक्षक श्री आर० सी० पांडे पर निशाना लगा रहा था, भी मारा गया। गोलीबारी के दौरान जो कुछ समय तक जारी रही, 4 डाकू मारे गए और कुछ हथियार और गोला बारूद पकड़ा गया।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेंद्र सिंह ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उच्च कोटि का नेतृत्व, असाधारण साहस, कर्तव्य परायणता एवं उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 जुलाई, 1976 से दिया जाएगा

के० सी० मादप्पा,
राष्ट्रपति के सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 1979

संकल्प

सं० पी० 21011/2/79-एन० एम०—"निरोध विपणन सलाहकार समिति" का पुनर्गठन करने के लिए भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. अपर सचिव एवं आयुक्त (प० क०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग।	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, परिवार कल्याण विभाग।	सदस्य
3. संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।	सदस्य
4. मैसर्स ब्रुक बांड इण्डिया लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
5. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
6. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
7. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
8. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
9. इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
10. मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
11. मैसर्स लिप्टन टी (इण्डिया) लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
12. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का प्रतिनिधि।	सदस्य
13. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
14. मैसर्स यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड का प्रतिनिधि	सदस्य
15. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का प्रतिनिधि	सदस्य
16. विज्ञापन और दृश्य-प्रचार के निदेशक अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
17. डा० मनेन्द्र मोहन, प्रोफेसर आफ मार्कीटिंग एण्ड इकनामिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, वस्त्रपुर, अहमदाबाद।	सदस्य
18. अरासन मैच इंडस्ट्रीज, शिवकाशी, तमिलनाडु का प्रतिनिधि।	सदस्य
19. चीफ मीडिया, परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
20. मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, परिवार कल्याण विभाग	सदस्य-सचिव

2. समिति के विचारार्थ विषय निरोध के प्रचार, उत्पादन और उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए एक कारगर और समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के लिए तरीकों और संसाधनों के बारे में विचार करना तथा इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश सुझाना होंगे।

3. समिति की अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य विशेषज्ञों को भी सहयोजित/आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

4. समिति के गैर सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए पूरक नियम 190 के उपबन्धों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता लेने के हकदार होंगे। समिति के जो सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं, वे उसी स्रोत से अपना वेश यात्रा और दैनिक भत्ता लेंगे जिससे उन्हें वेतन मिलता है।

5. इस पर होने वाला व्यय 1979-80 के दौरान मांग सं० 46-परिवार कल्याण के अधीन मुख्य शीर्ष 281—क-परिवार कल्याण क-7—अन्य सेवाएं और पूर्तियां-क-7 (3) निरोध योजना क-7 (8) (2)—यात्रा खर्च के नामे डाला जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सरला ग्रेवाल
अपर सचिव एवं आयुक्त (प० क०)

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1979

सं० 22-17-77-एन० डी०-I—डेरी विकास बोर्ड के नियमों तथा विनियमों के अनुच्छेद 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने तत्काल से निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकास बोर्ड का सदस्य मनोनीत करने का निर्णय किया है :—

1. डा० वी० कुरियन
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड । अध्यक्ष

2. श्री जी० एम० झाला सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
इंडियन डेरी कार्पोरेशन ।

3. श्री एच० एम० दलाया,
प्रबन्ध निदेशक,
खेड़ा जिला सहकारी,
दुग्ध उत्पादक संघ लि० आनन्द । सदस्य

4. डा० वाई० प्रसाद,
पशुपालन आयुक्त,
कृषि और सिंचाई मंत्रालय सदस्य

5. श्री यू० वैद्यनाथन,
वित्तीय सलाहकार,
कृषि विभाग । सदस्य

6. श्री एन० राजगोपाल,
संयुक्त सचिव (डेरी विकास)
कृषि विभाग । सदस्य

7. डा० आर० पी० अनेजा,
सचिव,
भारतीय डेरी विकास बोर्ड । सदस्य

2. बोर्ड की अवधि तीन वर्ष अथवा आगामी आदेशों तक (इनमें से जो भी पहले हो) होगी ।

एन० राजगोपालन, संयुक्त सचिव

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1979

संकल्प

सं० एफ 14025/1/77-अर्थ नीति—दिनांक 6 फरवरी, 1978 के संकल्प सं० 14025/1/77-अर्थ नीति द्वारा पुनर्गठित कृषि मूल्य आयोग को सलाह देने वाले कृषकों के पेनल में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल से शामिल करने का निर्णय लिया गया है :—

1. अध्यक्ष अथवा सचिव
भारत कृषक समाज, (भारतीय कृषक समाज)
1-ए निजामुद्दीन वेस्ट,
नई दिल्ली-110013 ।

2. अध्यक्ष अथवा महा सचिव,
राष्ट्रीय किसान संगठन (ट्रेक्टर क्लब)
एफ-2, एन० डी० एस० ई०-पार्ट-2,
नई दिल्ली-110049 ।

3. अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)
सपना बिल्डिंग,
54, ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली-110024 ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, समस्त राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के महा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय और कृषि विभाग के समस्त संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एम० एस० स्वामीनाथन, सचिव

(वानिकी स्कन्ध)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर 1979

संकल्प

सं० 6-4/79-एफ० आर० वाई०/पी० एफ० सी०—भारत ग्रामीण सामुदायिक विकास के लिए सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से लगा हुआ है । इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महिलाओं के सहयोग को बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है । ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक वानिकी के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों की तैयारी में महिलाओं को शामिल करना भारत में एक नया प्रयास है । अतः यह उपयुक्त नहीं है कि :—

(1) सामुदायिक वानिकी के क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग को समझा जाए,

(2) महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए तौर तरीके तलाश किए जाएं, और

(3) सेमिनार में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम आदि तैयार किए जाएं । यह कार्य खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से एक सेमिनार की व्यवस्था करके किया जाए, जिसे सामुदायिक वानिकी के कार्यक्रम का व्यापक अनुभव है । सेमिनार के माध्यम से एशियाई क्षेत्र के देशों के अन्तःदेशीय अनुभव से लाभ उठाया जाए ।

2. अतः जुलाई 1980 में आयोजित होने वाले सेमिनार के विषय में प्रारम्भिक तैयारी करने के लिए एक नीति विषयक समिति को गठित करने का प्रस्ताव है । नीति सम्बन्धी समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

1. डा० एम० एस० स्वामीनाथन
कृषि तथा सहकारिता सचिव । अध्यक्ष

2. अपर सचिव, ग्रामीण विकास
(या उनका प्रतिनिधि) सदस्य

3. महा निरीक्षक, वन
या अपर महा निरीक्षक वन
कृषि विभाग, नई दिल्ली सदस्य

4. श्रीमती निर्मला बुच,
संयुक्त सचिव,
महिला कल्याण तथा विकास शाखा
समाज कल्याण विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली सदस्य

5. विस्तार आयुक्त, कृषि विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7. फादर बोगार्ड, जेवियर इन्स्टीट्यूट आफ सोशल स्टेडीज, रांची (बिहार)	सदस्य
8. श्री अनुपम मिश्र, गांधी शान्ति संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
9. डा० जेफरोमे, फोर्ड संस्थान, 55 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
10. श्रीमती इला भट्ट, एस० ई० डब्ल्यू० ए० अहमदाबाद (गुजरात)	सदस्य
11. श्रीमती कमला भसीन, एफ० ए० ओ० 55 लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
12. श्रीमती चुबला ए० ओ०, सवस्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा सचिव परियोजना क्रियान्वियन समिति मुकोकचुंग नागालैण्ड	सदस्य
13. डा० कमला चौधरी, फोर्ड संस्थान, 55, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
14. श्री एच० एन० माथुर, समन्वयक, पर्यावरण अनुसन्धान, एफ० आर० आई०, देहरादून	सदस्य
15. कु० एस० चक्रवर्ती, निदेशक (समाज कल्याण कार्यक्रम) ग्राम पुनर्निर्माण मन्त्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
16. डा० बी० एन० गंगुली, परियोजना अर्थशास्त्री (वानिकी) कृषि विभाग, नई दिल्ली	संयोजक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों, ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसद पुस्तकालय को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे सार्वजनिक जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जी० नायक, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 31st October 1979

No. 48-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Indo-Tibetan Border Police :—

Name and rank of the officer

Shri Bhoop Singh,
Jamadar,
Indo-Tibetan Border Police,
Mussoorie.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 18th May, 1978, during the course of an expedition to Hardeol, Shri S. P. Mulasi, the leader of the expedition, fell into a closed crevasse at camp II, which was located at 17,500 feet. Shri Bhoop Singh, Jemadar organised a rescue operation immediately with the help of the Company Commander and others. First of all, he sank ice axes into the snow in order to make an anchor but he himself sank deep into the loose snow and could not extricate himself despite his best efforts. After great struggle, he managed to wriggle out of the loose snow and took position behind the point from where he was already operating. He then tied a rope around his waist and gave its end to the Company Commander to be held by him tightly. He was in an extremely dangerous position but did not hesitate to take the risk. He then asked the other members of the party to drop an aluminium ladder and ropes but when this did not succeed, he asked for an aluminium ladder and managed to sink it into the snow upto half its length single handed. With this anchorage he pulled out the Assistant Commander from the deep crevasse.

Shri Bhoop Singh, Jemadar, saved the life of the leader of the expedition by taking risk in disregard of his personal safety and thus displayed devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th May, 1978.

No. 49-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Rajasthan Police :—

Name and rank of the officer

Shri Jagdish Singh (*Deceased*)
Constable No. 1758,
Jaipur District,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th July, 1978, one of a gang of pickpockets in a C.T.S. bus picked the pocket of a passenger in the bus. Another pickpockets started picking the pocket of another passenger. While doing so he was caught by the passengers. A police Constable who was also travelling in the same bus tried to intervene but one of the pickpockets took out a knife and thrust it into his thigh. The pickpockets also assauited another passenger and injured him with a knife. Thereafter, they got down from the bus and tried to escape in cycle rickshaws. Shri Jagdish Singh, Constable, who happened to be present in uniform nearby heard the cries of the passengers and saw the pickpockets going away in cycle rickshaws. In disregard of his personal safety, he rushed to the vehicles and grabbed one of the criminals by his hair. When this pickpockets cried out for help the other pickpockets rushed to free him and stabbed Shri Jagdish Singh, Constable, who was all alone and unarmed. Though injured, the outnumbered Shri Jagdish Singh struggled with them and tried to apprehend them but since they were armed he could not do so. The pickpockets escaped. Shri Jagdish Singh died on his way to the hospital.

Shri Jagdish Singh, Constable, exhibited exceptional courage and sacrificed his life while discharging his duties.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th July, 1978.

No. 50-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentional officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Indra Jeet Singh Teotia,
Sub Inspector of Police,
Kanpur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th May, 1977, a police party consisting of three Inspectors and two Sub Inspectors (including Shri Indra Jeet Singh Teotia) surrounded the house of a dancing girl where Nafees, a prominent member of the notorious gang of Bashir, was suspected to be present With the help of a make-shift ladder, Shri Teotia climbed to the first floor of the house alongwith a few Constables. Because of a cracking sound produced by the ladder, Nafees grew suspicious and rushed out on-to the terrace of the house with his revolver. On seeing Shri Teotia he opened fire at him. Shri Teotia ducked and the bullet passed over his head. In a split-second Shri Teotia jumped on to the terrace of the house crawling behind a small fall. Nafees went on firing steadily to the last round. When Nafees started re-loading his revolver, his associates opened fire on Shri Teotia. Shri Teotia remained unperturbed and fired at Nafees and killed him on the spot. The associates of Nafees fled thereafter.

In this encounter Shri Indra Jeet Singh Teotia exhibited conspicuous gallantry and courage in disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 11th May, 1977.

No. 51-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Jai Chand Singh,
Sub Inspector of Police,
Hardoi,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of 18/19th May, 1977, Shri Jai Chand Singh, Sub Inspector of Police, Hardoi, received information that a gang of dacoits was likely to commit dacoity in Sardarpur village. He immediately rushed to the place alongwith Shri Mahendra Pratap Singh, Sub Inspector of Police, one Assistant Sub Inspector and six Constables. After deploying his men, he challenged the dacoits. The dacoits, however, started firing indiscriminately on the police party. Some of the gun-shots passed close to Shri Jai Chand Singh but he remained unperturbed. When it appeared that the dacoits could not be reached or they would not be hit from the position which the police officers were occupying, Shri Jai Chand Singh left cover and rushed towards the desperades in order to apprehend them. Shri Jai Chand Singh received a number of gun-shot injuries on his head, abdomen and legs but he still pressed on with his mission, arrested seven of the dacoits on the spot alongwith the arms and ammunition.

In this encounter, Shri Jai Chand Singh, Sub Inspector showed conspicuous gallantry and exceptional courage.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th May, 1977.

No. 52-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Surendra Singh,
Sub Inspector of Police,
District Bareilly,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 28th July, 1976, Shri Surendra Singh, Sub Inspector of Police, received reliable information that the notorious gang of dacoit Bhagirath was planning to commit a dacoity in Aspur village. He collected available forces and rushed to the village. On reaching there, he divided the police party into three groups. He himself headed the police party which took position on the eastern side of the house; the other police parties took position on the roof and the western side of the house, respectively. At 01.00 hours, the dacoits entered the house of Shri Ram Bilas Singh. Shri Surendra Singh challenged the dacoits who opened fire on the police party. Shri Surendra Singh and the other members of the police party also fired on the dacoits as a result of which the leader of the gang, Bhagirath, was killed. Another dacoits, Sewa Ram alias Pararia, who was taking aim at the Sub Inspector, Shri R. C. Pandey, was also shot dead. In the exchange of fire, which continued for some time more, four dacoits were killed and some arms and ammunitions were captured.

In this encounter Shri Surendra Singh displayed the highest qualities of leadership, exceptional courage, complete devotion to duty and conspicuous gallantry without caring for his own life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th July, 1976.

K. C. MADAPPA, Secy.
to the President

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 24th October 1979

RESOLUTION

No. V.21011/2/79-NM.—The Government of India are pleased to re-constitute the 'Nirodh Marketing Advisory Committee'. The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Additional Secretary & C (FW),
Ministry of Health & Family Welfare,
Department of Family Welfare.

Members

2. Joint Secretary,
Department of Family Welfare.
3. Joint Secretary & Financial Adviser,
Ministry of Health & Family Welfare.
4. A representative of M/s Brooke Bond India Ltd.
5. A representative of Bharat Petroleum Corp. Ltd.
6. A representative of M/s Hindustant Lever Ltd.
7. A representative of Hindustan Petroleum Corporation Limited.
8. A representative of Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
9. A representative of Indian Oil Corpn. Ltd.
10. A representative of M/s ITC Ltd.
11. A representative of M/s Lipton Tea (India) Ltd.
12. A representative of Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd.
13. A representative of M/s Tata Oil Mills Co. Ltd.
14. A representative of M/s Union Carbide India Ltd.
15. A representative of Hindustan Latex Ltd. Trivandrum.
16. Director of Advertising & Visual Publicity of his representative.
17. Dr. Manendra Mohan, Prof. of Marketing & Economics, Indian Institute of Management, Vastrapur, Ahmedabad.

18. A representative of Arasan Match Industries, Sivakasi, Tamil Nadu.

19. Chief Media, Department of Family Welfare

Member-Secretary

20. Marketing Executive, Department of Family Welfare

2. The terms of reference of the Committee will be to consider ways and means of organising an effective and co-ordinated programme for the publicity, Production and sales promotion of Nirodh (condoms) and to suggest the guidelines in this regard.

3. The Committee shall have the power to co-opt/invite other experts to attend its meetings.

4. Non-official members of the Committee shall be entitled to the grant of travelling allowance for attending the meetings of the Committee according to the provisions of supplementary rule 190 and Orders issued by the Government of India thereunder from time to time. Members of the committee who are Govt. servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same source from which they get their pay.

5. The expenditure involved is debitable to Major Head '281' A. Family Welfare-A.7-Other Services and Supplies- A.7(8) Nirodh Scheme—A.7(8)(2)—Travel expenses under Grant No. 46—Family Welfare during the year 1979-80.

SERLA GREWAL, Addl. Secretary and Commissioner (FW)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

New Delhi, the 24th September 1979

No. 22-17/77-LD. I.—In exercise of the powers conferred by Article 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the Government of India have decided to nominate following as Members of the National Dairy Development Board with immediate effect :—

1. Dr. V. Kurien,
Chairman,
National Dairy Development Board.
Indian Dairy Development Board. — Chairman

2. Shri G. M. Jhala,
Managing Director,
Indian Dairy Corporation. — Member

3. Shri H. M. Dalaya,
Managing Director,
Kaira Distt. Co-op. — Member

Milk Producers Union Ltd.
Anand. — Member

4. Dr. Y. Prasad,
Animal Husbandry Commissioner — Member

5. Shri U. Vaidyanathan,
Financial Adviser,
Department of Agriculture. — Member

6. Shri N. Rajagopal,
Joint Secretary (DD),
Department of Agriculture. — Member

7. Dr. R. P. Aneja,
Secretary,
National Dairy Development Board. — Member

2. The term of the Board will be for three years or until further orders, whichever is earlier.

N. RAJAGOPAL
Jt. Secy.

(DEPTT. OF AGRICULTURAL & COOPN.)

New Delhi, the 11th October 1979

RESOLUTION

No. F. 14025/1/77-Econ. Py.—In the Panel of Farmers to advise the Agricultural Prices Commission, reconstituted *vide* Resolution No. 14025/1/77-Econ. Py. dated 6th February, 1978, it has been decided to include the following members with immediate effect :

1. Chairman or Secretary [Farmers Forum (India)]
Bharat Krishak Samaj,
I-A, Nizamuddin West,
New Delhi-110 013.

2. Chairman or General Secretary
Rashtriya Kisan Sangathan (Tonnage Club),
F-2, N.D.S.E. Part I,
New Delhi-110 049.

3. Chairman or Managing Director,
National Agricultural Cooperative
Marketing Federation of India Ltd. (NAFED),
Sapna Building,
54, East of Kailash,
New Delhi-110 024.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution to be communicated to all Ministries and Departments of the Govt. of India, State Govts. and Union Territories Administrations, Planning Commission Prime Minister's Office, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, and all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture & Cooperation).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. SWAMINATHAN
Secy.

FORESTRY DIVISION

New Delhi, the 18th October 1979

RESOLUTION

No. 6-4/79-FRY/PEC.—India is engaged in Social Forestry Programme in a big way for rural community development in which the role of Women is considered of utmost significance to make the programme successful. Since induction of women in this programme is a new venture in India for purposes of formulating policies and programmes of community forestry for rural development, it is felt desirable to : (i) understand the role of women in community forestry; (ii) evolve methods of women's participation; and (iii) formulate training programmes for women; etc. in a seminar by bringing inter-country experiences from the countries of the Asian Region, with FAO's assistance which has all the experience of the global community forestry programme.

2. Accordingly it has been decided to constitute a Policy Committee to work out the modalities and the organisation of the seminar proposed to be organised in July, 1980. The composition of the Policy Committee will be as follows :—

1. Dr. M. S. Swaminathan, —Chairman
Secretary (Agriculture & Co-operation),
New Delhi.

2. Additional Secretary (or his representative), —Member
Ministry of Rural Reconstruction,
New Delhi.

3. Shri B. P. Srivastava, —Member
The Inspector General of Forests
& ex-officio Addl. Secy.,
or the Additional IGF,
Department of Agriculture,
New Delhi.

4. Smt. Nirmala Buch, —Member
Joint Secretary,
Women's Welfare & Development Wing,
Department of Social Welfare,
Shastri Bhavan, New Delhi.

5. Shri G. S. Vidyarthy, —Member
Joint Secretary-cum-
Extension Commissioner,
Department of Agriculture,
New Delhi.

6. A representative of ICAR, New Delhi. —Member

7. Father Bogard, Xaviour Institute of Social Studies, Ranchi, Bihar. —Member

8. Shri Anupam Mishra, Gandhi Peace Foundation, New Delhi —Member

9. Dr. Jeffrome, Ford Foundation, 55, Lodi Estate, New Delhi. —Member

10. Mrs. Ela Bhatt, S.E.W.A., Ahmedabad (Gujarat) —Member

11. Mrs. Kamla Bhasin, F.A.O., 55 Lodi Estate, New Delhi. —Member

12. Mrs. Chubla AO, Member, Central Social Welfare Board & Secy. of Project Implementing Committee Mokokchung, Nagaland —Member

13. Dr. Kamla Choudhury, Ford Foundation, 55, Lodi Estate, New Delhi.. —Member

14. Shri H. N. Mathur, Co-ordinator, Environmental Research, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. —Member

15. Miss S. Chakravorty, Director (Rural Welfare Programme), Ministry of Rural Reconstruction, New Delhi. —Member

16. Dr. B. N. Ganguli, Project Economist (Forestry), Department of Agriculture, New Delhi. Convener

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories, Ministry of Rural Reconstruction, Ministry of Labour, Deptt. of Social Welfare, Cabinet Secretariat, Prime Minister Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and Parliament Library.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

G. NAIK
Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979